कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 332/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 23.08.2026

प्रेस नोट, दिनांक 23.08.2026

थाना मुबारकपुर और कोतवाली

☐ **थाना मुबारकपुर एवं थाना कोतवाली पुलिस की साइबर टीम द्वारा साइबर फ्रॉड के पीड़ितों के कुल ₹12,426/- वापस कराए गए।**

☐ **फर्जी वेबसाइट एवं खाते से बिना जानकारी के निकाली गई धनराशि पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर हेल्पलाइन/पोर्टल के माध्यम से पीड़ितों को दिलाई गई पूरी धनराशि।**

घटना एवं पुलिस कार्यवाही का विवरण–

थाना मुबारकपुर क्षेत्र के आवेदक सिराज अहमद पुत्र अली अहमद निवासी अजीजनगर नूरपुर बुतात थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने शिक्षण संस्थान को सजाने हेतु एक ऑनलाइन वेबसाइट पर सस्ती एवं आकर्षक LED झालर लाइट का विज्ञापन देखकर ₹10,000/- की बुकिंग की गई थी। बुकिंग के पश्चात आवेदक को वेबसाइट के फर्जी होने का एहसास हुआ, जिस पर तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका Ack No. 3310726018XXXX है। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर टीम द्वारा फ्रॉड की गई सम्पूर्ण ₹10,000/- धनराशि होल्ड कराई गई तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए पीड़ित को उसकी **पूरी धनराशि ₹10,000/- वापस करा दी गई।**

इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र के आवेदक भागीरथी प्रसाद पुत्र भुवनेश्वर निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ कि उनके खाते से उनकी जानकारी के बिना ₹19,999/- की धनराशि कट गई है। आवेदक द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी जानकारी नहीं दी गई थी और न ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया गया था। आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई। थाना कोतवाली की साइबर टीम द्वारा साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या 3310325002XXXX पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की गई तथा फ्रॉड हुई धनराशि में से **₹2,426/- पीड़ित के खाते में वापस करा दिए गए।**

कुल धनराशि वापसी–

थाना मुबारकपुर एवं थाना कोतवाली की साइबर टीम द्वारा उपरोक्त दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए **पीड़ितों की कुल ₹12,426/- (बारह हजार चार सौ छब्बीस रुपये) की धनराशि वापस कराई गई।**

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम–

1-उ0नि0 विधनेश वर्मा, रि0का0 विवेक कुमार चौहान, म0का0 प्रियंका तिवारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

2-उ0नि0 सागर कुमार रंगू, का0 नीरज पटेल, का0 राजन कुमार गौड़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

आमजन से अपील–

यदि आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है अथवा आपके खाते से बिना जानकारी के धनराशि कट जाती है, तो बिना देरी किए तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही संबंधित बैंक को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपने नजदीकी थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें, ताकि धनराशि को समय रहते होल्ड कराकर वापस कराने की कार्रवाई की जा सके।

प्रेस-नोट, दिनांक–23.08.2026

थाना–महराजगंज, जनपद–आजमगढ़

☐ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

☐ जमीनी विवाद में घर में घुसकर लाठी-डण्डे व लोहे की रॉड से हमला कर पिता को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 20.08.2026 को वादी मुकदमा बलराम सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बांसथान, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना-पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा जमीनी विवाद को लेकर एकराय होकर उनके, उनकी बहन, पिता एवं भाई के घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डे एवं लोहे की रॉड से मारपीट की गयी। मारपीट में वादी के पिता के सिर में गंभीर चोट लगने से वह मौके पर बेहोश हो गये। अभियुक्तगण द्वारा घर के सामान में तोड़फोड़ करने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।
उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 205/26, धारा-3(5), 109(1), 110, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 333 बीएनएस बनाम कमल सिंह, राकेश सिंह, अंकित सिंह, आयुष सिंह, शिवांगी सिंह, विध्यवाशिनी सिंह, मानसी सिंह एवं अनिता सिंह, समस्त निवासीगण ग्राम बांसथान, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 23.08.2026 को उ0नि0 कलाप कलाधर त्रिपाठी मय हमराह द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामानन्द सिंह निवासी ग्राम बांसथान, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ को सहदेवगंज मोड़ से समय 12:17 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- राकेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामानन्द सिंह निवासी ग्राम बांसथान, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 48 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 205/26, धारा 3(5)/109(1)/110/115(2)/352/351(3)/324(4)/333 बीएनएस, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 205/26, धारा 3(5)/109(1)/110/115(2)/352/351(3)/324(4)/333 बीएनएस, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 132/25, धारा 115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 कलाप कलाधर त्रिपाठी, का0 मनीष विश्वकर्मा, का0 अंजुम रजा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक–23.08.2026

थाना– मुबारकपुर, जनपद–आजमगढ़

□ नाबालिग अपहृता को बहला-फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.07.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना मुबारकपुर पर सूचना दी गई कि उनकी दो पुत्रियों क्रमशः उम्र करीब 13 वर्ष व उम्र करीब 05 वर्ष जो घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं तथा वापस नहीं आई के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 280/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

दौराना विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त विक्की कुमार पुत्र लालजी, निवासी कुत्तुबपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, उम्र करीब 21 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.08.2026 को उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त विक्की कुमार पुत्र लालजी, निवासी कुत्तुबपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, उम्र करीब 21 वर्ष को अशरफिया यूनिवर्सिटी के पास से समय 15:20 बजे हिरासत में लिया गया तथा दोनो अपहृताओं को पुलिस संरक्षण में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- विक्की कुमार पुत्र लालजी, निवासी कुत्तुबपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 280/26 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मो0 कुलदीप कुमार मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।